संख्या-01 /2022/पी-10/अड़तीस-9-2022-10(पीएमजीएसवाई)/2003टी0सी0-।

प्रेषक,

नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 04 अप्रैल, 2022**

विषय- उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सृजित पद की क्रमागत निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-6414/ए-157टीसी/यूपीआरआरडीए/2006, दिनांक-10.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नि:संवर्गीय एक पद, जो शासनादेश संख्या-पी-218/अड़तीस-9-2013-10(पीएमजीएसवाई)/2003, दिनांक-30.09.2013 द्वारा दिनांक-28.02.2014 तक के लिये अस्थायी रूप से सृजित किया गया था और शासनादेश संख्या-13/2021/पी-99/38-9-21-10(पीएमजीएसवाई)/2003टी0सी0-1 दिनांक-15.04.2021 द्वारा अन्तिम बार क्रमागत निरन्तरता दिनांक-28.02.2022 तक बढ़ायी गयी थी, की क्रमागत निरन्तरता दिनांक-28.02.2023 तक बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, बशर्ते कि प्रश्नगत पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-0401-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक-02.12.1998 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
विशेष सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-01 /2022/पी-10/अड़तीस-9-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (लेखा) अनुभाग-2

5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

6- गार्डबुक।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।